भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2750
दिनांक 17 **मार्च**, 2022

पेट्रोल पंपों का आवंटन

2750. **श्री आर.के. सिंह पटेल:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आवंटन में आरक्षण या विशेष रियायत प्रदान किए जाने वाली श्रेणियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन श्रेणियों/व्यक्तियों को विशेष रियायत के तहत पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए दिनांक 24.11.2018 से नए डीलरशिप चयन दिशानिर्देशों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन हेतु दिनांक 23.06.2016 से एकीकृत दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है। इन दोनों दिशा-निर्देशों में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए 22.5% तथा ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य श्रेणियों में ही रक्षा कार्मिकों, अर्ध सैन्य कार्मिकों/केन्द्र/राज्य सरकार तथा केन्द्र/राज्य पीएसयू कर्मचारियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आरक्षण होता है।

आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आबंटन एक पारदर्शी पक्रिया का पालन करके किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आबंटिती का चयन करने हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, आवदेनों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, ड्रा निकालना आदि शामिल है।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया/मानक/मानदंड/ आरक्षण नीति संबंधी सूचना संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की वेबसाइटों अर्थात www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, तथा www.hindustanpetruluem.com पर उपलब्ध है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश नामत: एकीकृत दिशा-निर्देश वेबसाइट www.lpgvitrakchayan.in पर उपलब्ध हैं।

*****